कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

पता :– राजीव गाँधी भवन, दशहरा मैदान, कोटा ई–मेल :–nnkota@gmail.com

क्रमांक : ननिको / श्री अ.र.यो. / 2026 / 1196–1209 दिनांक :– 12.03.2026

–: अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का आमंत्रण :–

नगर निगम कोटा की 02 श्री अन्नपूर्णा रसोईयों के संचालन हेतु दिनांक 13.03.2026 से 02.04.2026 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। कार्य से संबंधित शर्ते एवं अन्य जानकारी निगम की वेबसाईट www.kotamc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

UBN NO. – DLB2526B2856

NIB NO. – DLB2526WSRC38393

राज.संवाद / सी / 25 / 22747

उपायुक्त
नगर निगम कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3198 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-09.02.26

आवास संख्या 6-टी-2 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री राम चन्द्र जैन को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री नरेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्री सूरजमल के नाम दिनांक 30.04.2002 को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्री नरेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्री सूरजमल द्वारा दिनांक 10.06.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री नरेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्री सूरजमल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 17.10.2003 को श्री पुरन्दर कुमार गौत्तम पुत्र श्री राम प्रसाद गौत्तम को किया गया। श्री पुरन्दर कुमार गौतम पुत्र श्री राम प्रसाद गौत्तम का नाम दिनांक 30.08.2011 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री पुरन्दर कुमार गौत्तम पुत्र श्री राम प्रसाद गौत्तम द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 21.07.2023 को श्रीमती उषा बाई पत्नी श्री फूलचन्द को किया गया। श्रीमती उषा बाई पत्नी श्री फूलचन्द द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास सख्या 6-टी-2 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उषा बाई पत्नी श्री फूलचन्द का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उषा बाई पत्नी श्री फूलचन्द का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उषा बाई पत्नी श्री फूलचन्द के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3557 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-18.03.2026

आवास संख्या 1-क्यू-36 तलवंडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री ईश्वरी लाल पुत्र श्री राम नाथ को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री ईश्वरी लाल पुत्र श्री राम नाथ द्वारा दिनांक 13.11.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री ईश्वरी लाल पुत्र श्री राम नाथ की मृत्यु दिनांक 02.05.2004 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती भूली बाई की मृत्यु दिनांक 05.01.2013 हो चुकी है। श्री ईश्वरी लाल पुत्र श्री राम नाथ द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 05.06.1985 को इनके पुत्र श्री कैलाश चन्द्र लक्षकार के पक्ष में आलेखित की गई। श्री कैलाश चन्द्र लक्षकार पुत्र स्व. श्री ईश्वरी लाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-क्यू-36 तलवंडी, कोटा का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री कैलाश चन्द्र लक्षकार पुत्र स्व. श्री ईश्वरी लाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री कैलाश चन्द्र लक्षकार पुत्र स्व. श्री ईश्वरी लाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री कैलाश चन्द्र लक्षकार पुत्र स्व. श्री ईश्वरी लाल के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/2624 दिनांक : 13.03.2026

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास संख्या-196-GF मोहनलाल सुखाडिया अर्फोडेबल योजना का आवंटन के पत्र क्रमांक-263 दिनांक 30.05.2025 द्वारा श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री बजरंग लाल वर्मा को आंवटित किया गया था। श्रीमती ममता देवी कि मृत्यु दिनांक 02.09.2021 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्रीमती ममता देवी के विधिक वारिसान के द्वारा श्री बजरंग लाल वर्मा पुत्र श्री भवंर लाल के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्री बजरंग लाल वर्मा पुत्र श्री भवंर लाल के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-196-GF मोहनलाल सुखाडिया अर्फोडेबल योजना का नाम हस्तांतरण श्री बजरंग लाल वर्मा पुत्र श्री भवंर लाल के नाम से जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/848 दिनांक : 13.03.2026

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा आवास संख्या 664 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 4015-16 दिनांक 18.10.2017 को श्रीमती पूनम गेरा पत्नी श्री देवेन्द्र गेरा के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्रीमती पूनम गेरा पत्नी श्री देवेन्द्र गेरा द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री प्रमोद अग्रवाल पुत्र श्री बिरधी चंद द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2025 को श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री बुजराज शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री बुजराज शर्मा द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त आवास संख्या 664 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री बृजराज शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2266 **विज्ञप्ति** दिनांक : 18.3.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी योजना ''स्वर्ण विहार प्रथम'' खसरा नं. 96/451 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री प्रदीप सिंह अटवाल पुत्र श्री गुरुनन्दन सिंह अटवाल निवासी 124. शिवनगर अटवाल फार्म, पुलिस लाईन, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 91 दिनांक 15.05.2015 को श्रीमती रमनीत कौर पत्नि श्री प्रदीप अटवाल निवासी अटवाल फार्म, पुलिस लाईन, कोटा राज, के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा एक पंजीकृत वसीयत क्रमांक 201903123300035 दिनांक 13.02.2019 को श्री प्रदीप सिंह अटवाल के पक्ष मे आलेखित की गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 02.09.2018 को हो चुकी हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ-पत्रों के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया हैं।

अतः श्री प्रदीप सिंह अटवाल पुत्र श्री गुरुनन्दन सिंह अटवाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/9244 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-17.03.2026

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्रीमती सुगन बाई पत्नी श्री गंगाराम जाति मेहर निवासी मदागन माफी तह. कुम्भराज जिला गुना (म.प्र.)	619	ऐजाज कालोनी	371	20x25 =500

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/9241 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-17.03.2026

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्री भगवान लाल कुशवाह आत्मज श्री हरनारायण जाति कुशवाह निवासी ऐजाज नगर कॉलोनी छबडा तह. छबडा जिला बारां (राज.)	626, 627, 629	टीचर्स कॉलोनी	243	20x40 =800

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2025/9236 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-17.03.2026

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के अन्तर्गत नगर पालिका कार्यालय में निम्न आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति प्रकाशन के अन्दर म्याद 15 दिवस में मय दस्तावेज प्रमाण पत्र के इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

क्र. सं.	नाम सम्पत्ति मालिक जिसके नाम दस्तावेज अनुसार सम्पत्ति है।	प्रकरण	पता सम्पत्ति जहाँ स्थित है।
1	2	3	4
	श्री सुमन सेवा समिति धरनावदा रोड छबडा जिला बारां (राज.)	स्ट्रीप ऑफ लैण्ड	धरनावदा रोड मैन चौराहा छबडा पर स्थित श्री सुमन सेवा समिति की धर्मशाला हेतु साईज 06X100=600 वर्गफीट स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत भूमि कय करने हेतु।

नोट:- उपरोक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत भूमि आवंटन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि के अन्दर म्याद 15 दिवस तक अपनी आपत्ति लिखित में न.पा. छबडा में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि गुजरने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा

शिया दाऊदी बोहरा समाज की ईद आज

छबड़ा (निसं)। शिया दाउदी बोहरा समाज द्वारा बुधवार को 30 रोज़े पूरे होने पर आज गुरुवार को ईद उल फ़ित्र का पर्व हर्षोल्लास से साथ मनाया जाएगा। शिया दाउदी बोहरा समाज कमेटी के सदस्य मोइज़ अकबर बोहरा ने बताया कि समाज के लोगों द्वारा गुरुवार को ईद उल फ़ित्र का त्यौहार हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद की नमाज़ सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद मुल्ला मुंतसिर साबिर अदा करवाएंगे। इसके बाद एक दूसरे ईद की मुबारकबाद दी जाएगी।

खोया पाया

जय सिंह पुत्र बिशन सिंह 2-A-12 रंगबाड़ी योजना के मूल दस्तावेज महावीर नगर तृतीय चौराहे से जेरोक्स करवाने जा रहा था जिसमें से मूल perpetual lease गुम हो गए हैं, किसी को मिलने पर सूचित करें। Mob.9414274794

खोया पाया

कमलाबाई पत्नी रतनलाल प्लॉट नंबर 47 देवनगर अनन्तपुरा का मुख्तार नामा इकरारनामा व वसीयतनामा गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें

आम सूचना

श्री अमित चौहान पुत्र स्व. श्री मदन मोहन चौहान, निवासी ई-28/ए, श्रीनाथपुरम, कोटा द्वारा उनके स्वामित्व के मकान नं. 28/ए. श्रीनाथपुरम-ई, कोटा (राज.) को बैंक ऑफ बडौदा, शाखा केशवपुरा, कोटा में साम्यक् बंधक रख ऋण हेतु आवेदन किया है।

यह कि श्री मदन मोहन चौहान द्वारा मकान नं. 28/ए श्रीनाथपुरम-ई, कोटा (राज.) का कय श्री विनोद जैन एवं श्रीमती कुसुम जैन जरिये मुख्तार आम साधना मिश्रा से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.08.09 से किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 19.08.09 को हो रहा है। श्री मदन मोहन चौहान की मृत्यु दिनांक 24.06.10 को हो चुकी है एवं उनकी पत्नी श्रीमती ललिता चौहान की भी मृत्यु दिनांक 06.07.15 को हो चुकी है। श्री मदन मोहन चौहान एवं श्रीमती ललिता चौहान की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान श्रीमती ललिता देवी, श्रीमती अनिता, श्री अमित चौहान एवं श्री अनुराग सिंह चौहान उक्त सम्पत्ति के मालिक बनें। इसके पश्चात् श्रीमती ललिता देवी एवं श्रीमती अनिता द्वारा उक्त सम्पत्ति में निहित अपने-अपने हिस्से का हक त्याग जरिये हक त्याग पत्र दिनांक 11.11.13 से श्री अमित चौहान एवं श्री अनुराग सिंह चौहान के पक्ष में किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा मे दिनांक 11.11.13 को हो रहा है। इसके पश्चात् श्री अनुराग सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति में निहित अपने 1/2 अविभाजित हिस्से का हक त्याग जरिये हक त्याग दिनांक 06.10.2025 से श्री अमित चौहान के पक्ष में किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटा में दिनांक 06.10.2025 को हो रहा है।

अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित अचल सपत्ति को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा केशवपुरा, कोटा में साम्यक बंधक रखने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में मुझे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा

दिनांक : 18.03.2026

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट
मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय
कोटा राज. मो. 94148-02953

हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर दीपदान और महाआरती से श्रद्धामय हुआ कोटा महानगर

■ कोटा के सभी वर्गों ले महाआरती में भाग लिया

कोटा, (निसं)। हिंदू नववर्ष के स्वागत की पूर्व संध्या पर बुधवार को संध्या में कोटा महानगर दीपदान और महाआरतियों, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भजनों से आस्था, धर्म और श्रद्धा में कोटा महानगर सरोबार हो गया। वर्तमान संवत् के अंतिम सूर्यास्त की विदाई पूरे महानगर में मंदिरों में महाआरती के माध्यम से दी गई।

हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष गोविन्द नारायण अग्रवाल नें बताया कि हिन्दू नववर्ष की पूर्व संध्या 18 अप्रैल 2026 को आने वाले नूतन वर्ष के स्वागत में कोटा शहर और आसपास के क्षेत्रों में एक दिन में 120 बस्तियों में 360 उपबस्तियों की गली, मोहल्लों में 700 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में हिन्दू नववर्ष के भव्य और भावपूर्ण आयोजन हुये है।जो हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जोड़े रखने के हेतु मुख्य आयाम है।

इस अवसर पर कोटा महानगर में लगभग एक साथ कार्यक्रम आयोजित हुए। हिंदू समाज के लोग अपने–अपने घरों से दीपक लेकर मंदिरों में पहुंचे और भगवान की आरती कर नवसंवत्सर के स्वागत की मंगल कामनाऐं की। कई स्थानों पर हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ और भजन संध्याओं का भी आयोजन किया गया, वहीं कोटा महानगर के नगरों के प्रमुख बाजारों को भगवा पन्नीयों से सजाया गया। जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

महाआरतियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों में समाजसेवी सत्यनारायण यादव, समाजसेवी श्यामबिहारी नागर, अनिल जैन, समिति के अध्यक्ष गोविन्द नारायण अग्रवाल, महामंत्री डॉ. बाबूलाल भाट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण श्रीवास्तव, ओम प्रकाश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष रामकुमार मेहता, सह कोषाध्यक्ष महेश विजय, पंकज मेहता, किसन पाठक, बीएल पचेरवाल, उपाध्यक्ष आनंदस्वरूप राठी, महेश गुप्ता, विवेक राजवंशी, कुलदीप माथुर, संदीप पहाड़िया, प्रेम भाटिया, क्रांति जैन, गणपत लाल शर्मा, संदीप चाँदीवाला, श्रीनाथ मित्तल, मोतीलाल मीणा, रवि विजय, संजय शर्मा, नेता खंडेलवाल, कुंजबिहारी गौतम, हेमंत विजय, राजाराम कर्मयोगी, डॉ.बी.एल. गोचर, गजेंद्र भार्गव, सत्यनारायण शर्मा पुरोहित, अरविन्द गोयल, सुनीता व्यास मंत्री केपी सिंह जितेंद्र गोयल वीरेंद्र शर्मा ललित शर्मा लोकेंद्र सिंह राजावत नें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया

इसी क्रम में महानगर के 12 नगरों की नगर स्तरीय समितियों ने अपने–अपने क्षेत्रों में आयोजन कर कार्यक्रमों को अंतिमरूप दिया। इनमें गणेश नगर मंडल के संयोजक दिलीप सिंह व सहसंयोजक मुकेश जोशी, विवेकानंद नगर के संयोजक चंद्रप्रकाश नागर व सहसंयोजक महावीर नागर, चाणक्य नगर के संयोजक लहरीशंकर गौतम व सहसंयोजक देबू राही, विश्वकर्मा नगर के संयोजक अश्वनी व सहसंयोजक महेंद्र पाल, प्रताप नगर के संयोजक विकास पचवारिया व सहसंयोजक अनिल माहेश्वरी, दीनदयाल नगर के संयोजक युधिष्ठिर खटाना व सहसंयोजक संदीप भाटिया, सूरज नगर के संयोजक ओमप्रकाश कश्यप व सहसंयोजक भूपेंद्र भाया, अंबेडकर नगर के संयोजक महावीर सुवालका व सहसंयोजक ब्रजमोहन राठौर, शिवाजी नगर के संयोजक बृजेश शर्मा व सहसंयोजक योगेंद्र बत्रा, संभाजी नगर के संयोजक शिवराज गौड़ व सहसंयोजक महेंद्र निर्भय, तानाजी नगर के संयोजक देवेंद्र त्रिपाठी व सहसंयोजक दिनेश नागर, तथा गायत्री नगर के संयोजक देवराज वर्मा व सहसंयोजक रामस्वरूप शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम सम्पन्न हुये।

विश्व सिंधी सेवा संगम कोटा चेटीचण्ड महोत्सव पर आयोजित कर रहा है अनेक कार्यक्रम

कोटा, (निसं)। विश्व सिंधी सेवा संगम की कोटा इकाई ने वर्ष 2026 में प्रतिमाह सिंधी साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों पर आधारित डिजिटल प्रतियोगिताऐं, संगोष्ठी और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इसी क्रम में चेट्रीचण्ड महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे जिनकी शुरुआत 11 मार्च से की गई है।

अध्यक्ष प्रेम भाटिया ने बताया कि विश्व सिंधी सेवा संगम के कोटा चैप्टर की और से एक विशेष झांकी भारतीय संसद रू लोकतंत्र का पुण्य स्थल मुख्य जुलूस में शामिल होगी जिसमें संसद भवन के नए परिसर की झलक लोग देख पाएंगे। उन्होंने बताया कि पूज्य सिन्धी जनरल पंचायत से साथ मिलकर अनेक स्वागत द्वार जुलूस के पूरे मार्ग पर लगाये जाएंगे जिसके प्रायोजक कोटा की विभिन्न संस्थाएं, प्रमुख समाज सेवी हैं। संगम की ओर से 60 गुणा 10 साईज की गेलेन्ट्री बनवाई है जो कि गीता भवन, माहेश्वरी भवन के सामने एवं स्टेशन रोड पर लगाई। इसके साथ ही 58 गुणा 18 साईज का विशाल स्वागत गेट प्रमुख चोराहा पर बनाया है।

उपाध्यक्ष रमेश आहूजा ने बताया कि इस अवसर पर एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है जिसमे किशोर सागर तालाब में झूलेलाल की विशाल मूर्ति लगवाने के आग्रह किया गया है। निदेशक मीडिया किशन रतनानी ने बताया कि इस अवसर पर विश्व सिंधी सेवा संगम के कोटा चैप्टर की और से झूलेलाल की स्तुति गीत–गायन की डिजिटल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी सिंधी बेटियां जो 10वीं–12वीं में टॉपर आती है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 95 प्रतिशत अंक लाने वाली सिंधी लड़कियों के एफडी बनाकर देगे। कोटा की 01 सरकारी गर्ल्स स्कूल को गोद लेगें व 05 गर्ल्स स्कूल में सेनेटरी नेपकीन मशीन लगवाएगे। सिन्धी समाज की बेटियों के लिए स्किल प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में श्री झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष बसंत वलेचा ने बताया कि जुलूस में 26 झांकियां होंगी। सिन्धु सोशल सर्किल के सचिव किशन रतनानी ने बताया कि जुलूस में चेटीचण्ड पर देश भक्ति की भावना से ओत–प्रोत वन्दे मातरम् के विजयोत्सव की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। संत कंवरराम धर्मशाला प्रबंधक समिति के अध्यक्ष गिरधारी पंजवानी ने बताया कि उनकी संस्था स्वागत के साथ–साथ एक विशेष झांकी बना रही हैं। विज्ञान नगर श्री झूलेलाल पंचायत के महासचिव ने विज्ञान नगर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में विश्व सिन्धी सेवा संगम के कोषाध्यक्ष मोहन इसरानी ने आभार प्रकट किया।

सार-समाचार

सफाई को लेकर जीरो टोलरेंस से ही स्वच्छ बनेंगे शहर

कोटा, (निसं)। सफाई को लेकर जीरो टोलरेंस से ही शहरों को स्वच्छ बनाया जा सकता है। हमें सफाई कार्य करते हुए शहरों को स्वच्छ बनाने में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। जनता यदि स्वच्छता में सहयोग करती है तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त स्वच्छता एम्बेसडर केके गुप्ता ने कोटा जिले के निकायों और अन्य विभागों के लिए आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कही। कोटा विकास प्राधिकरण के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला में गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता को लेकर हमें अपने लिए लक्ष्य तय करने होंगे। गली से शुरू करते हुए चौराहे, वार्ड, ब्लॉक, जोन को साफ करते हुए आगे बढ़ें। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामने संसाधनों, कर्मचारियों की कमी सहित अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आएंगे। हमें कमियों पर ध्यान नहीं देकर समाधान के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर की लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक है कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग नहीं बल्कि 365 दिन स्वच्छता रखने की मानसिकता से कार्य करें। हम स्वच्छता के लिए जितना काम करेंगे, हमें उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। शहर स्वच्छ होंगे तो उसकी सराहना अपने आप होने लगेगी। यही स्वच्छता आगे चलकर हमारी आर्थिक प्रगति का भी सशक्त आधार बनेगी। इससे पूर्व आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर गुप्ता का स्वागत करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से डूंगरपुर को पूरे भारत में विशिष्ट पहचान दिलवाई। स्वच्छता सर्वेक्षण से पूर्व उनकी कार्यशाला से हमें भी कोटा में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने का विजन मिलेगा। कार्यशाला में उपनिदेशक क्षेत्रीय दिव्यांशू शर्मा, उपायुक्त भावना सिंह, विभिन्न नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी, अभियंता व स्वास्थ्य निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026-कोटा जिले से हुआ 80 विद्यार्थियों का चयन

रामगंजमंडी, (निसं)। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा–2026 के परिणाम घोषित होने के पश्चात जिला कोटा के लिए गर्व का विषय है कि कुल 80 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन हुआ है। प्राचार्य आर के मीणा ने बताया कि इन सभी विद्यार्थियों का प्रवेश सत्र 2026–27 में जवाहर नवोदय विद्यालय, खैराबाद (जिला कोटा) में कक्षा 6 में किया जाएगा। यह चयन विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। चयनित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा, समग्र विकास के अवसर तथा विभिन्न सह–शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सुविधा के लिए संबंधित विद्यालय द्वारा एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य जानकारी हेतु 9928775533 नंबर पर संपर्क किया जा सकता हैरू हेल्प डेस्क नंबर 9928775533 प्राचार्य ने सभी चयनित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए विद्यार्थियों की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

जागरूकता रैली निकाली

रामगंजमंडी (निसं)। स्थानीय विद्यालय में एनएसएस के सात दिवसीय विशेष शिविर में 18 मार्च बुधवार को पंचम दिवस का आयोजन हुआ। सरस्वती दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना के साथ शिविर सत्र का प्रारंभ हुआ। विद्यालय से पुलिस थाना रामगंजमंडी तक जागरूकता रैली निकाली गई तथा छात्राओं को पुलिस थाने की विजिट करवाई गई। जहां कांस्टेबल सुरेंद्र पोरवाल ने छात्राओं को पुलिस थाने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर शर्मा ने छात्राओं को महिला सुरक्षा तथा नए कानून के बारे में जानकारी दी। इसके पश्चात छात्राओं ने गोद ली गई बस्ती शिव नगर गायत्री मंदिर के पास में जागरूकता रैली निकाली तथा वहां साफ सफाई कर श्रमदान किया वह घर–घर का डिजिटल साक्षरता सर्वे किया तथा नाश्ते का आनंद लिया। गायत्री शक्तिपीठ से पधारे पंकज ने छात्राओं को बाल संस्कार संबंधी बहुत ही प्रेरणास्पद जानकारी दी। सीबीईओ खैराबाद से पधारे लोकेश शर्मा और सुरेश कुमावत ने छात्राओं को शिक्षाप्रद जानकारी प्रदान की। छात्रों ने भोजन का आनंद लिया और डायरी लेखन कार्य किया।

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक : नपबा/भूमि रूपां/2025/12125-26 **भू उपयोग परिवर्तन विज्ञप्ति** दिनांक : 06.03.2026

नगरीय विकास विभाग की समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचना के तहत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू उपयोग परिवर्तन नियम) के अन्तर्गत सर्व साधारण को किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निम्न प्रकरण का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम खसरा नं.	जोनल प्लान (जॉन बी) में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1.	श्रीमती चन्दा बाई गोयल पत्नी गणेशलाल गोयल निवासी सत्संग भवन की गली राजपुरा वार्ड बारां तह. व जिला बारां (राज.)	नलका खसरा नं. 392 भूखंड संख्या 5 कोटा रोड बारां	सड़क मार्गाधिकार के बाद मिश्रित पश्चात आवासीय	आवासीय से व्यवसायिक	232.34 वर्गमीटर	

**आयुक्त
नगर परिषद बारां**

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...नगर परिषद बून्दी (राज.)

क्र.सं. 1057 **लोक सूचना** दिनांक : 18.3.26

आवेदक श्री उदय गर्ग पुत्र श्री दुर्गाशंकर गर्ग निवासी गायत्री नगर बून्दी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का-कृषि से गैर-आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम देवपुरा	2414/93,2420/95, 2422/88, 2424/89 2426/92,2428/94	कुल रकबा 2980 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 18.3.26 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele Fax No-07432-232230 Email ID:dcfjhalawar1967@gmail.com,

क्रमांक एफ () स्टोर / उवसं/2025-26/3411 दिनांक:- 18.03.26

अल्पकालीन खुली निविदा सूचना संख्या 102/2025–26

Bids for इस कार्यालय के अधीनस्थ रेंजों हेतु कम्प्यूटर व प्रिंटर सामग्री क्रय करने हेतु दर संविदा are invited from interested bidders From 18.03.2026 Upto 23.03.2026 (Time 1:00 PM) Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state; and Forest department website. The approximate value of the procurement is Rs. 3,47,000/-

UBN- FOR 2526GSRC06305

NIB- FOR 2526A4611

**(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक झालावाड़**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक :-LU2012/KOT/2025-26/101151 **लोक सूचना** दिनांक : 17.03.2026

श्री YOGENDRA KUMAR MEGHWAL पुत्र श्री PHOOLCHAND MEGHWAL जाति MEGHWAL निवासी 229-C SHRINATHPURAM, KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का धार्मिक/आध्यत्मिक संस्थान प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मानसगांव लाडपुरा (कोटा)	YOGENDRA KUMAR MEGHWAL S/O PHOOLCHAND MEGHWAL M.NO.229-C SHRINATHPURAM, KOTA RAJ. KHATEDAR	22	1100	0.11
				कुल	0.11

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-03-2026 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**